न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 125/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/बारां
दायरा दिनांकः 11.10.2017
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. प्रतापी बाई
2. मूर्ति बाई

पुत्रियां रतनलाल जाति मीणा निवासीगण सीमल्या तहसील मांगरोल।

... अपीलार्थी

बनाम

1. हरिप्रकाश पुत्र सीताराम जाति मीणा निवासी सीमल्या तहसील मांगरोल जिला बांरा–राज0।
2. तहसीलदार मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बांरा–राज0।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री जितेन्द्र नामा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री अतुल वशिष्ट अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम–1

:::निर्णय:::

दिनांक 8.5.2018

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय तहसीलदार (भू अभि0) मांगरोल जिला बारां (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 29/2016 जांच कार्यवाही वसीयतनामा दिनांक 12.5.2016 बउनवान हरिप्रकाश बनाम प्रतापीबाई वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 6.9.2017(संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि ग्राम सीमल्या की आराजी खाता सं0 18 जमाबंदी सम्वत 2071–74 अनुसार ख0 नं0 315 रकबा 0.27, ख0 नं0 355 रकबा 0.17, ख0 नं0 552 रकबा 0.06 किता तीन रकबा 0.50 है0 भूमि के खातेदार रतनलाल पुत्र मोतीलाल मीणा की दिनांक 7.6.2016 को मृत्यु होना वर्णित करते हुये हरिप्रसाद पुत्र सीताराम मीणा नि0 सीमल्या ने उक्त आराजी की खातेदार द्वारा उसके पक्ष मे की गई अन्तिम वसीयत दिनांक 12.5.2016 के आधार पर आराजी उसके नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने वाके माल सीमल्या की उक्त भूमि का नामान्तरकरण हरिप्रकाश के नाम दर्ज किये जाने का दिनांक 6.9.2017 को निर्णय पारित किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि न्याय व संचयिका मे सिद्धि प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत व त्रुटिपूर्ण है क्योंकि जेरअपील निर्णय वसीयतनामा की फोटो प्रति के आधार पर पारित किया है जो किसी भी प्रकार से विधिसम्मत नही है। फोटो कापी की न तो जांच की जा सकती है और न ही उसके आधार पर निर्णय पारित किया जा सकता है तथा ना ही ऐसा साक्ष्य विधि मे प्रावधीत है। मृत्यु पूर्व रतनलाल के अन्तिम अवस्था मे स्वस्थचित रहने संबधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे चिकित्सक का प्रमाण पत्र मौजूद नही है जिससे अपीलाधीन निर्णय के पेज नं0 2 के पेराग्राफ मे लिखे गये तथ्य की पुष्टि नही होती है। मृतक रतनलाल अपीलांट के पिता थे तथा मृत्यु होने की दिनांक तक वह अपीलांट क्रम 1 के साथ ग्राम सीमल्या मे निवास करते थे उनके द्वारा रेस्पो0 क्रम–1 हरिप्रकाश के पक्ष मे वसीयत लिखवाना मिथ्या व फर्जी है उक्त वर्णित आराजी पर वर्तमान मे भी अपीलांट काबिज काश्त है। हल्का पटवारी ने रेस्पो0 क्रम–1 हरिप्रकाश को मृतक रतनलाल का दत्तक पुत्र बतायाहै लेकिन दत्तक के संबध मे कोई दस्तावेज पेश नही किये है दिनांक 4.9.2017 को अपीलांट उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति मे महावीर व शोभागमल के लेखबद्ध बयान मे तारीख दर्ज नही इस प्रकार बयान सन्देह के दायरे मे आ जाते है। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की बहस सुने बिना ही निर्णय पारित कर त्रुटि की है तथा जो निर्णय पारित किया है अपील मिमो मे

उल्लेखित उक्त तथ्यो की रोशनी मे विधिसम्मत नही कहा जा सकता। अतः अपील स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 6.9.22017 निरस्त किया जाकर अपीलांट के पक्ष मे इन्तकाल तस्दीक करने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजि0 की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/समन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत के आधार पर मृतक रतनलाल की आराजी का नामान्तरकरण रेस्पो0 क्रम–1 हरिप्रकाश के नाम दर्ज करने का जेरअपील निर्णय पारित कर त्रुटि की है। अपीलांट मृतक रतनलाल की पुत्रियां होने से उसकी विधिक वारिसान है। उक्त आराजी का वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने का आदेश पारित करने से पूर्व राजस्व रिकार्ड मे अपीलांट प्रतापी व मूर्ति के नाम दर्ज है। दत्तक का कोई दस्तावेज पत्रावली मे उपलब्ध नही है पटवारी द्वारा रिपोर्ट मे अंकित तथ्य आधारहीन है। उक्त आराजी का इन्तकाल अपीलांट के नाम दर्ज किया जाना चाहिये था। शादी से पहले से ही अपीलांट का नाम जमाबंदी मे दर्ज है।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 ने अपनी बहस मे कथन किया कि मृतक रतनलाल की प्रतापी व मूर्ति पुत्रिया तथा रेस्पो0 क्रम–1 हरिप्रकाश रतनलाल के भतीजे का लडका है। अपने जीवनकाल मे ही रतनलाल ने अपीलांट को भूमि दे दी थी मुझे लगभग 4 बीघा भूमि जरिये वसीयत दी है जिसके आधार पर नामा0 दर्ज करने का निर्णय तहसीलदार भू अभिलेख मांगरोल द्वारा पारित किया गया है। तहसीलदार ने जेरअपील निर्णय वसीयत की प्रमाणिकता की गवाहान, पटवारी रिपोर्ट से ताईद होने पर दिनांक 6.9.2017 को पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट/उसके अभिभाषक प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित रहे है तथा अन्त मे उपस्थित नही हुये। अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यो का समुचित परीक्षण कर जेरअपील निर्णय पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अपने कथन के समर्थन मे आरआरटी 2016 (1) पेज 30 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील अपीलांट खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया तथा प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक नजीर पर गौर किया गया। रेस्पो0 क्रम–1 की ओर से प्रकरण मे प्रार्थना पत्र आर्डर 41 रूल 27 सीपीसी के साथ भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 121 के अन्तर्गत निर्धारित फार्म नं0 7 रतनलाल वल्द मोतीलाल व जमाबंदी सं0 2071–74 ग्राम सीमल्या की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई जो निर्णय मे सहायक होने से न्यायहित मे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित दस्तावेजात रिकार्ड पर लिये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख/राजस्व रिकार्ड, रिपोर्ट पटवारी, साक्ष्य इत्यादि के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे तथ्यो की समुचित जांच कर उक्त वर्णित आराजी की रतनलाल द्वारा अपने जीवनकाल मे रेस्पो0 क्रम–1 हरिप्रकाश के पक्ष मे की गई अन्तिम वसीयत की प्रमाणिकता सिद्ध होने पर जेरअपील निर्णय दिनांक 6.9.2017 पारित किया है। राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 अनुसार खातेदार आसामी अपने भूमि–क्षेत्र मे अपने हित को या हितांश को उस व्यक्तिगत कानून के अनुसार जिसके कि वह अधीन है, अन्तिमेच्छा–पत्र के द्वारा वसीयत मे दे सकता है। प्रकरण मे यह तथ्य भी विवेचनीय है कि जेरअपील निर्णय के पेज 1 पैरा सं0 3 एंव जमाबंदी सं0 2071–74 ग्राम सीमल्या के अवलोकन से मृतक रतनलाल द्वारा अपने जीवनकाल मे दोनो पुत्रियों को, स्वयं के खाते मे से जमीन पृथक–पृथक खाते दर्ज करवाई गई है फिर भी अपीलांट को वसीयत से किसी प्रकार आपत्ति है तो वह उसको सक्षम सिविल न्यायालय मे चुनोती देकर अपने हक हकूको का निर्धारण कराने के लिये स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे तथ्यो का समुचित परीक्षण कर जेरअपील निर्णय पारित किया है जिसमे हमे किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष प्रकट नही होता है। लिहाजा उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज योग्य है।

6 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 8.5.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा